

बिहार सरकार
वित्त (अंकेक्षण) विभाग
भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या – 114/2009-10

1. परिचयात्मक –

- (क) अंकेक्षित लेखा का नाम – प्रखण्ड विकास कार्यालय, जमुई
 (ख) अंकेक्षणान्तर्गत लेखावधि – वर्ष 2001-02
 (ग) प्रशासी विभाग का नाम – ग्रामीण विकास विभाग
 (घ) अंकेक्षण अवधि के नियंत्री
 पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं कार्यकाल – श्री गणेशी राम रमण, उप विकास आयुक्त
 31.12.99 से 25.2.04
 (ङ.) अंकेक्षण अवधि के लेखा प्रभारी पदाधिकारी
 एवं कर्मचारी का नाम, पदनाम एवं कार्यकाल – 1. श्री राम नन्दन प्रसाद, प्रखण्ड विकास
 पदाधिकारी – 1.4.01 से 31.3.02
 2. श्री रघुनन्दन प्र० सिन्हा, प्रधान लिपिक
 1.4.01 से 31.3.02
 3. श्री रामानन्द सिंह, नाजिर –
 1.4.2001 से 16.7.01
 4. श्री सतीश सिंह, नाजिर –
 17.7.01 से 6.3.02
 5. श्री रामानन्द सिंह, नाजिर –
 7.3.02 से 31.3.02
 (च) अंकेक्षण में सहयोग देने वाले पदाधिकारी
 एवं कर्मचारी का नाम – मो० महफूज, नाजिर
 (छ) वरीय अंकेक्षकों के नाम – 1. श्री धीरेन्द्र कुमार वर्मा, वरीय अंकेक्षक-2
 2. श्री भुवनेश्वर मंडल, वरीय अंकेक्षक-2
 3. श्री अमर नाथ भगत, वरीय अंकेक्षक-2
 4. श्री भोला नाथ मंडल, वरीय अंकेक्षक-2
 (ज) अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि – 20.11.2009
 (झ) अंकेक्षण समापन तिथि – 30.12.2009
 (ञ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस – 25 दिन
 (ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत
 अभिलेखों की सूची – प्रतिवेदन के परिशिष्ट (क) पर है।

(ठ) अंकेक्षण का क्षेत्र –

प्रखण्ड विकास कार्यालय, जमुई के लेखा वर्ष 2001-02 का सामान्य अंकेक्षण वित्त (अंकेक्षण) विभागीय ज्ञापांक 3286 दिनांक 16.09.60 में निहित निदेश के आलोक में उपलब्ध

अभिलेखों के आधार पर सम्पन्न किया गया। कोषागार से निकासी एवं जमा राशि का सत्यापन जिला कोषागार, जमुई के कोषागार के प्रस्तुत अनुसूची से शत प्रतिशत किया गया एवं सही पाया गया। इस कार्यालय के लेखा से संबंधित महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदन को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्त (अंकेक्षण) विभाग के मात्र एक पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 15/03-04 लेखावर्ष 1999-2000 एवं 2000-01 को अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया जो यथावत् रखा पाया गया। इसके अनुपालन पर किसी प्रकार की कार्रवाई किया नहीं पाया गया। अतः लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदनों का अनुपालन शीघ्र कर वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को प्रेषित करने की ओर विभागीय उच्चाधिकारी का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

(ड) वित्तीय परिशंसा —

अंकेक्षणान्तर्गत लेखावधि वर्ष 2001-02 की आवंटन एवं व्यय विवरणी प्रतिवेदन के परिशिष्ट (ख) पर उद्धृत है। आवंटन से संबंधित पत्रों का रख रखाव ठीक से नहीं रहने के कारण प्राप्त आवंटन में दिखाई गई राशि की सत्यता की जाँच संभव नहीं हो सकी। विभागीय सक्षम पदाधिकारियों के द्वारा इसकी समीक्षा तथा जाँच करा ली जाय। बचत में दिखाई गई राशियों के बारे में बताया गया कि इन्हे प्रत्यार्पित कर दिया गया। लेकिन तत्संबंधित पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

इसके अतिरिक्त विभिन्न योजनाओं के मद में प्राप्ति एवं व्यय एवं पूर्व वर्षों के अवशेष को प्रारम्भण रोकड़ के रूप में एवं वित्तीय वर्ष के अंत में बचत को संवरण रोकड़ के रूप में दिखाते हुए अलग से परिशिष्ट (ग) पर उद्धृत किया गया है। कार्यालय द्वारा इस संबंध में कोई व्योरा अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं कराया गया।

अंकेक्षण के दौरान पाई गई आपत्तियों के संबंध में अंकेक्षण आपत्तियाँ निर्गत की गई किन्तु उनका अनुपालन कर मात्र प्रारम्भ की चार निर्गत आपत्तियों को लौटाया गया। शेष निर्गत आपत्तियों का अनुपालन अंकेक्षण समाप्ति तिथि तक अंकेक्षण को नहीं लौटाया गया। निर्गत आपत्तियों के आलोक में की गई कार्रवाई एवं अनुपालन से अंकेक्षण को अवगत कराने के उद्देश्य से अनेक बार मौखिक एवं लिखित अनुरोध किया गया, लेकिन उनका अनुपालन कर नहीं लौटाया गया।

(ड.) (1) रोकड़ का भौतिक सत्यापन :-

वित्त (अंकेक्षण) विभागीय ज्ञापांक 503 दिनांक 29.01.76 के आलोक में अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि 20.11.09 को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जमुई द्वारा सामान्य रोकड़ पुस्त के संवरण शेष का भौतिक सत्यापन बैंक चेक पंजी आदि से किया गया एवं इससे संबंधित प्रमाण अंकित कर दिया गया। बैंक पास बुक या बैंक समाधान से संवरण शेष का सत्यापन नहीं किया गया। इस प्रकार दिनांक 20.11.09 को सामान्य रोकड़ पुस्त का संवरण शेष के किए गए सत्यापन का विवरण इस प्रकार है (विस्तृत विवरण परिष्ट (घ) में द्रष्टव्य)

1. विभिन्न बैंको में जमा राशि	— 6901335=56
2. असमायोजित अभिश्रव	— 26,67,834=54
3. अस्थायी अग्रिम	— 31,44,578=00
4. 21-5 से 22-5-93 की चोरी	— 33,719=00
5. अत्याचार राहत कोष का अवितरित चेक	— 81,250=00
6. इन्दिरा आवास एवं मु० मंत्री कन्या विवाह का अवितरित चेक	— 21,000=00
7. एकल ताला	— 1,633=94

योग — 12851351=04

(2) आरम्भण एवं संवरण शेष का विवरण —

अंकेक्षण लेखावधि के रोकड़ पुस्त के प्रारम्भण रोकड़ एवं संवरण रोकड़ का व्योर परिशिष्ट (ड.) पर दिया गया हैं। प्रत्येक माह के अंत में सामान्य रोकड़ पुस्त के संवरण शेष का विस्तृत विवरण अंकित किया गया था। प्रारम्भण रोकड़ एवं संवरण रोकड़ के संलग्न विस्तृत विवरण में दि० 21-5 से 22-5-93 को चोरी गई राशि रु० 33,719=00 भी समाहित है। इस संबंध में जमुई थाना काण्ड सं० 105/93 दिनांक 22-5-93 के अन्तर्गत धार 457/380 भा० द० सं० के तहत एफ० आई० आर० दर्ज किया गया था परन्तु अंकेक्षण अवधि तक प्रतिफल अप्राप्त पाया गया इस राशि से संबंधित की जा रही कार्रवाई की ओर उच्चाधिकारी का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

(3) स्वीकृत एवं कार्यरत बल का विवरण :-

अंकेक्षणाधीन वित्तीय वर्ष में इस प्रखण्ड कार्यालय हेतु स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त बलो का व्योरा परिशिष्ट (च) पर दिया गया है। इसके अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाएगा कि कार्यरत बल स्वीकृत बल के अधीन है।

भाग —1

2. रु० 2,000=00 का दुबारा व्यय दिखाया जाना, रकम वसूली योग्य :-

शीर्ष दीप शिखा से संबंधित अभिश्रवों के सत्यापन एवं जाँच क्रम में निम्नलिखित रकमों को दुबारा संबंधित सहायक रोकड़ पुस्त के व्यय पक्ष में प्रविष्ट किया, पाया गया। संबंधित दुबारा व्यय की दिखाई गई राशियों में एक अभिश्रव आवेदक के आवेदन, जिसपर दुकानदार को भुगतान की गई राशि का तथा दुकानदार के अभिश्रव को संलग्न किए जाने का उल्लेख था, पारित था, जबकि दुकानदार को रकम भुगतान करने के साक्ष्य में संलग्न अभिश्रव को भी दूसरा अभिश्रव समझ कर अभिश्रव संख्या अंकित की गई एवं पारित की गई पाई गई। साथ ही, इस रकम की प्रविष्टि भी स० रोकड़ पुस्त के व्यय पक्ष में कर दी

गई। इस प्रकार एक ही उद्देश्य एवं अवधि का दुबारा व्यय दिखा दिया गया। विवरण इस प्रकार है –

क्र 0	अभिश्चव सं0	उद्देश्य	अवधि	दुकान दार का नाम एवं पता	दुकानदार को भुगतान करने वाला आवेदक का नाम एवं पता	अभिश्चव की रकम	स0 रो0 पुस्त में प्रविष्टि तिथि	दुबारा व्यय की राशि	अभ्युक्ति
1	5/01-02 (दिप शिखा)	भी0 टी0 प्रशिक्षण में नाश्ता एवं चाय (98 भी0 टी0 को)	6.2.02 एवं 7.2.02	श्री अशोक सिंह, कुन्दरी	श्री संजय प्र0 सिंह आर0 पी0, कुन्दरी पं0— सनकुरहा	1960=00	23.3. 02	1960=00	आवेदन एवं दुकानदार के अभिश्चव पर भी रकम परित
	6/01-02 (दिप शिखा)	''	6.2.02 एवं 7.2.02	श्री अशोक सिंह, कुन्दरी	श्री संजय प्र0 सिंह आर0 पी0, कुन्दरी पं0— सनकुरहा	1960=00	23.3. 02		''
2	367/01-02 (दिप शिखा)	आर0 पी0 एवं एम0 टी0 की वार्ड स्तरीय बैठक	8.1.02	श्री शिव कुमार, जमुई बाजार	श्री,मति मीरा देवी,वार्ड सं0 -12	40=00	23.3. 02	40=00	तदैव
	368/01-02 (दिप शिखा)	आर0 पी0 एवं एम0 टी0 की वार्ड स्तरीय बैठक	8.1.02	श्री शिव कुमार, जमुई बाजार	श्री,मति मीरा देवी,वार्ड सं0 -12	40=00	23.3. 02		

कुल—रू0 2000=00

निर्गत आपत्ति का अनुपालन कर नहीं लौटाया गया।

इस प्रकार दुबारा दिखाए गए व्यय की कुल रकम ₹0 2000=00 संबंधित दोषी व्यक्ति से वसूल कर के संगत शीर्ष में जमा करायी जाय एवं प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार पटना को अवगत कराया जाय।

3. प्राप्ति हस्ताक्षर के अभाव में मान देय मद में भुगतान की गई राशि ₹0 1442=00 वसूली योग्य :-

शीर्ष 265 जनगणना के अन्तर्गत भारतीय जनगणना, 01 में कार्यरत पर्यवेक्षक को मानदेय के रूप में भुगतान की गई राशियों की सत्यापन एवं जाँच मानदेय भुगतान पंजी एवं संबंधित सहायक रोकड़ पुस्त से करने के क्रम में पाया गया कि सहायक रोकड़ पुस्त में दिनांक 10.01.02 को ₹0 1442=00 का व्यय श्री राम सुन्दर राय, स0 शिक्षक ,प्रा0 वि0 ,सिमरिया विक्रमपुर को मानदेय भुगतान पंजी में पृष्ठ सं0 12 के क्रमांक 45 के पक्ष में दिखलाया गया था, जबकि संबंधित मानदेय भुगतान पंजी में सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा राशि प्राप्त करने के प्रमाण में प्राप्ति हस्ताक्षर नहीं पाया गया। स्पष्ट है कि श्री राय द्वारा रकम प्राप्त नहीं की गई थी। इस संबंध में निर्गत आपत्ति का अनुपालन कर लौटाया नहीं गया।

अतः वास्तविक प्राप्तकर्ता के बिना भुगतान किए ही रकम ₹0 1,442=00 की प्रविष्टि स0 रोकड़ पुस्त के व्यय पक्ष में कर दी गई।

अतएव रकम ₹0 1442=00 की वसूली संबंधित दोषी व्यक्ति से की जाय एवं प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार पटना को भी अवगत कराया जाय।

4. दैनिक भत्ता का अधिक भुगतान, रकम ₹0 720=00 वसूली योग्य :-

शीर्ष 2515/102 विकास के अन्तर्गत यात्रा भत्ता विपत्रों की कार्यालय प्रतियों के जाँच क्रम में पाया गया कि श्री सुरेन्द्र प्रसाद, प्र0 स0 प्र0 पदा0, जमुई द्वारा माह जून ,01 से नवम्बर 01 तक की गई यात्रा के विभिन्न तिथियों के लिए लिया गया दैनिक भत्ता मूल वेतन एवं वैयक्तिक वेतन के आधार पर संगणित किया पाया गया, जो बिहार यात्रा भत्ता नियमावली के नियम 8 एवं 69(1) के प्रतिकूल एवं वसूली योग्य है। संबंधित विवरणी परिशिष्ट (छ) पर दिया गया है। निर्गत आपत्ति का अनुपालन कर नहीं लौटाया गया।

अतः दैनिक भत्ता का अधिक दर पर भुगतान की गई राशि ₹0 720=00 संबंधित व्यक्ति से वसूल कर कोषागार में जमा करायी जाय एवं प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार पटना को अवगत कराया जाय।

5. वास्तविक व्यय से ₹0 825=00 अधिक व्यय दिखाया जाना वसूली योग्य :-

विभिन्न शीर्षों के अभिश्रवों एवं भुगतान पंजी के सत्यापन एवं जाँच क्रम में, पाया गया कि वास्तविक भुगतान योग्य राशि के योग से अधिक रकम संबंधित सहायक रोकड़ पुस्त के व्यय पक्ष में प्रविष्टि किया गया था। इससे संबंधित विवरण निम्नरूपेण था।

क्रमांक	स० रो० पुस्त का दिनांक	शीर्ष	विवरण	रो० पुस्त में दिखाई गई योग्य की रकम	वास्तविक योग	अन्तर (अधिक प्रविष्टि)	अभ्युक्ति
1	12/11/01	2235 राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन	वसन्ती देवी एवं अन्य 43 कुल 44 लाभान्वितों का अभिश्रव	23,625=00	23,100=00	525=00	
2	13/11/01	2235 सा० सु० पें० (राज्य)	रेवी देवी, सहदेवराम एवं अन्य 43 कुल 45 लाभान्वितों का अभिश्रव	30,200=00	30,100=00	100=00	
3	25/04/01	2515/101 पंचायत चुनाव	मतदान कर्मी भुगतान पंजी, भोल्युम सं० 6 के पृष्ठ सं० 1 से 25 तक	28,500=00	28,300=00	200=00	

रू० 825=00

इस प्रकार वास्तविक व्यय से रू० 825=00 अधिक प्रविष्टि स० रो० पुस्त के व्यय पक्ष में कर दी गई थी। निर्गत आपत्ति का अनुपालन भी नहीं किया गया।

अतः रकम रू० 825=00 की वसूली संबंधित व्यक्ति से कर ली जाय एवं प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार को अवगत कराया जाय।

6. रू० 16,139=00 रॉयल्टी के रूप में राजस्व की क्षति :-

शीर्ष विधायक/सांसद/पार्सद के अन्तर्गत पार्षद योजना सं० 9/99-2000 योजना का नाम— ग्राम खड़सारी मेन रोड से लिक पथ महगाँय मे ग्रेड – I तथा ग्रेड – II द्वारा पथ उन्नयन का कार्य, अभिकर्ता का नाम – श्री सुबोध चन्द्र झा, पंचायत सेवक से संबंधित योजना अभिलेख की जाँच में पाया गया कि

(क) योजना अभिलेख एवं मापी पुस्त में कुल 87.57 सी० एफ० टी० चिप्स की रायल्टी की कटौती 70.75/100 की दर से कुल 62 रू० की गई थी।

जबकि संबंधित योजना अभिलेख के मापी पुस्त की जाँच में पाया गया कि कराए गए कार्य के लिए प्रथम से पाँचवाँ विपत्रों तक कुल 22,162.08 सी० एफ० टी० चिप्स का उपयोग किया गया था, जिसकी रायल्टी पूर्वोक्त दर से कुल ₹ 15,680.00 होता है।

इस प्रकार अन्तर की राशि ₹ 15,680.00—62.00= ₹ 15,618.00 की रायल्टी की कम कटौती की गई।

(ख) योजना अभिलेख एवं मापी पुस्त में कुल ईंट की संख्या 597 के लिए ही प्रति हजार 37.50 ₹ की दर से कुल रायल्टी की कटौती ₹ 23.00 की गई थी।

जबकि संबंधित योजना अभिलेख के मापी पुस्त की जाँच में पाया गया कि कुल उपयोग में लाई गई ईंटों की सं० 9962 थी। जिसकी रायल्टी पूर्वोक्त दर से ₹ 374.00 होता है।

इस प्रकार अन्तर की राशि ₹ 374.00—₹ 23.00=₹ 351.00 की कम कटौती की गई।

(ग) उसी प्रकार, बालू के लिए —कुल 67.80 सी० एफ० टी० बालू के उपयोग के लिए रायल्टी की कटौती 34.00/100 सी० एफ० टी० की दर से कुल ₹ 23.00 की गई थी। जबकि प्रयुक्त बालू की मात्रा 567.11 सी० एफ० टी० पाई गई। जिसकी रायल्टी उपर्युक्त दर से ₹ 193.00 होता है।

इस प्रकार अन्तर की राशि ₹ 193.00—₹ 23.00 = ₹ 170.00 की कम कटौती की गई।

अतः कुल कम रायल्टी की राशि की कटौती = क+ख+ग

$$= 15618.00+351.00+170.00 \text{ ₹}$$

$$= \mathbf{16,139.00 \text{ ₹}}$$

निर्गत आपत्ति का अनुपालन कर नहीं लौटाया गया। अतः प्रशासी विभाग का ध्यान उपर्युक्त राजस्व क्षति की ओर आकृष्ट किया जाता है एवं सुझाव है कि रायल्टी के रूप में राजस्व क्षति की राशि ₹ 16,139.00 की क्षतिपूर्ति बिहार माइनस एवं मिनरल अधिनियम की धारा 40(8) के तहत सुनिश्चित की जाय एवं फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार पटना को अवगत कराया जाय।

7. बिना कार्य का भुगतान, ₹ 59,445.00 वसूली योग्य :-

शीर्ष सुनिश्चित रोजगार योजना 30 प्रतिशत के अन्तर्गत योजना सं० 21/99—2000 से संबंधित योजना अभिलेख की जाँच में पाया गया कि योजना लोहरा अड़सर पक्की

सड़क से अचहरी मुसहरी तक ग्रेड -I मिट्टी मोरम द्वारा सड़क उन्नयन कार्य के लिए या जिसके अभिकर्ता श्री सुमन्त राय, जनसेवक थे एवं प्राक्कलित राशि रु0 3,49,800=00 थी। इस योजना से संबंधित मापी पुस्त में दिखाया गया कार्य का दिनांक 24.11.2000 को अंतिम मापी की गई थी, जिसके अनुसार कुल कार्य रु0 3,49,000.00 का था।

अभिलेख के अनुसार,	
मस्टर रोल की राशि	— 69,944=00
अभिश्चव	— 2,65,760=00
डी0 डी0 सी0 को रोलर आपूर्ति	— 14,025=00
हेतु निर्गत चेक सं0 60380/12.10.2000	3,49,729=00

किया गया भुगतान — 3,49,000=00

(रायल्टी की राशि रु0 15531.00 सम्मिलित करने पर)

प्राक्कलन में रोड रालर का कार्य का प्रावधान — 58,530=77

लेकिन रोड रोलर का प्रयोग कर दिखाया गया कार्य मापी पुस्त में रु0 59,445.00 का था, जबकि अभिलेख में रोड रोलर आपूर्ति से संबंधित पत्र या अभिश्चव नहीं पाया गया। अतएव प्राक्कलन के प्रावधान के अनुसार सड़क निर्माण निर्धारित मानदंड के अनुसार नहीं हुआ अर्थात् सड़क निर्माण में कन्सोलिडेशन कार्य हेतु रोड रोलर काम में नहीं लगाया गया था। अतएव अभिकर्ता को इस कार्य का भुगतान रु0 59,445.00 नहीं होना था। फिर भी इस रकम का भुगतान कर दिया गया। निर्गत आपत्ति का अनुपालन कर नहीं लौटाया गया।

अतः बिना कार्य के भुगतान की गई राशि रु0 59,445=00 की वसूली सम्बन्धित व्यक्ति से करने का सुझाव दिया जाता है की गई कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार पटना को अवगत कराया जाय।

8. योजना में रु0 35,811=00 का अधिक भुगतान,रकम वसूली योग्य :-

शीर्ष सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत योजना अभिलेख की जाँच में पाया गया कि योजना सं0 21/99-2000, योजना का नाम— लोहरा अड़सार पक्की सड़क से अचहरी मुसहरी तक मिट्टी मोरम ग्रेड-I द्वारा सड़क उन्नयन कार्य, अभिकर्ता का नाम— श्री सुमन्त राय, जनसेवक ,प्राक्कलन की राशि रु0 3,49,000=00 मापी पुस्त में दिखाया गया कार्य मूल्यांक रु0 3,49,000=00, किया गया भुगतान —रु0 3,49,000 में

(क) प्राक्कलन के अनुसार रु0 9,100=00 का खर्च एक अदद 2'0" व्यास एन.-पी.-2 ह्यूम पाइप के लिए किया जाना था।

मापी पुस्त के पृष्ठ सं0 27 के अनुसार प्रयुक्त 2'0" व्यास एन. पी.-2 ह्यूम पाइप पर व्यय की राशि रु0 7,758=00 का उल्लेख पाया गया।

अभिलेख में 2'0" व्यास एन. पी. -2 ह्यूम पाइप के क्रय से संबंधित अभिश्चव संलग्न नहीं पाया गया।

फलतः राशि रु0 7,758=00 का बिना सामग्री लगाए भुगतान कर दिया गया।

(ख) प्राक्कलन के अनुसार 1'0" व्यास एन. पी.-2 का 4 अदद ह्यूम पाइप का क्रय $4 \times 7,500.00 = \text{रु० } 30,000.00$ में किया जाना था।

मापी पुस्त में पृष्ठ सं० 23 पर (दि० 24-10-2000) प्राक्कलन के अनुरूप 4 अदद ऐसे ह्यूम पाइप पर रु० 30,053.00 का व्यय दर्शाया गया था।

अभिलेख में जगदम्बा इन्टर प्राजेज, जमुई से दि० 15.4.2000 को 15 अदद ह्यूम पाइप 1'0" व्यास एन. पी.-2 का क्रय 500.00 प्रति पाइप की दर से कुल रु० 7,500.00 का करने का अभिश्रव पाया गया।

योजना में जन 1'0" व्यास एन. पी.-2 का 4 अदद ह्यूम पाइप लगाया जाना था तो 4 अदद ह्यूम पाइप का क्रय करना था, जिसका मूल्य पूर्वोक्त दर से $4 \times 500.00 = \text{रु० } 2,000.00$ का ही व्यय होना था। अर्थात् योजना में इस पर रु० 2,000.00 का व्यय हुआ।

वास्तव में जितना व्यय किया गया, उससे अधिक व्यय मापी पुस्त में दिखाया गया। अतएव, अन्तर की राशि $\text{रु० } 30,053.00 - \text{रु० } 2,000.00 = \text{रु० } 28,053.00$ का अधिक भुगतान किया गया।

कुल अधिक भुगतान क+ख = $\text{रु० } 7,758.00 + \text{रु० } 28,053.00 = \text{रु० } 35,811.00$ का किया गया। निर्गत आपत्ति का अनुपालन कर नहीं लौटाया गया।

अतः किए गए अधिक भुगतान की रकम रु० 35,811.00 संबंधित व्यक्ति से वसूली की जाय एवं प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार पटना को अवगत कराया जाय।

9. योजना में किए गए व्यय से रु० 32,754.00 का अधिक भुगतान, रकम वसूली योग्य:-

शीर्ष सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत योजना सं० 7/99-2000, योजना का नाम -जमुई -लखीसराय पथ से सिमरिया विक्रमपुर सड़क तक ग्रेड-I ग्रेड-II मिट्टी मोरम कार्य, अभिकर्ता- श्री रंजीत कुमार, पे० श्री प्रसादी महतो, विक्रमपुर सिमरिया, जमुई, प्राक्कलित राशि रु० 2,99,500.00 मापी पुस्त एवं अभिलेख के अनुसार सम्पादित कार्य रु० 2,99,500.00

इस योजना अभिलेख की जाँच में पाया गया कि मापी पुस्त के पृष्ठ सं० 24 में 3'0" व्यास का एन. पी. -2 ह्यूम पाइप का उपयोग, जिसकी कुल राशि रु० 40,580.00 थी, दिखाया गया था।

जबकि अभिलेख में सम्पादित कार्य के लिए दुकान-आर. भ. सीमेंट, कंक्रीट लखीसराय, मुंगेर से क्रय की गई ट्यूब पाइप (3'0" आर. सी. सी. विथ कालर) की संख्या 4 थी जिसकी क्रय राशि प्रति ह्यूम पाइप रु० 1627.00 की दर से (टैक्स एवं ढुलाई सहित) रु० 7,826.00 थी। इस प्रकार रु० 40,580.00 - रु० 7,826.00 = रु० 32,754.00 का अधिक भुगतान कर दिया गया।

निर्गत आपत्ति का अनुपालन कर नहीं लौटाया गया। अतः किए गए वास्वविक व्यय से रु० 32,754.00 का किया गया अधिक भुगतान संबंधित व्यक्ति से वसूली की जाय एवं प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार पटना को अवगत कराया जाय।

10. रू0 31,848=00 रायल्टी की राशि, कोषागार में जमा योग्य :-

विभिन्न योजनाओं के योजना अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि अभिकर्ता के योजना विपत्रों से कटौती की गई रायल्टी की राशि कोषागार में उचित शीर्ष अन्तर्गत जमा नहीं की गई थी। इससे संबंधित विवरणी परिशिष्ट (ज) में दी गई है।

इस संबंध में निर्गत आपत्ति का अनुपालन कर नहीं लौटाया गया।

अतः रकम रू0 31,848=00 को उचित शीर्ष अन्तर्गत कोषागार में जमा किया जाय एवं प्रति फल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार पटना को अवगत कराया जाय।

11. रू0 13,817=97 जमा योग्य अव्यवहृत राशि संबंधित विभाग को वापस करने के संबंध में :-

वित्तीय वर्ष 2001-02 के प्रारम्भ एवं अंत में सहायक रोकड़ पुस्तों एवं सामान्य रोकड़ पुस्त के संवरण शेष का अवलोकन से पाया गया कि निम्नांकित मदों की राशियाँ लम्बे समय से पड़ी हुई थी, जो आगे भी व्यय होने की संभावना नहीं थी। विभागीय कोष में नकद राशि का जमाव बिहार वित्तीय नियमावली भाग-1 के नियम 300 एवं बिहार वजट मेनुअल के नियम 107(3) के प्रतिकूल था।

इस संबंध में निर्गत आपत्ति के अनुपालन में कहा गया कि "रकम रू0 13,817=97 जमा किया जाना उचित नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि उससे अधिक राशि असमायोजित अभिश्रव में है। आवंटन की माँग की गई हैं। आवंटन प्राप्त होने पर समायोजन पश्चात् निर्देशित रकम वापस कर दिया जायेगा।

उक्त राशियों का व्योरा निम्न प्रकार था।

क्रमांक	शीर्ष का नाम	राशि
1	2230 श्रम	13,817=60
2	306 लघु सिंचाई	0=37

रू0 13,817=97

अतः उपरोक्त रू0 13,817=97 की राशि को संबंधित विभाग को वापस करने की कार्रवाई की जाय तथा कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार पटना को अवगत कराया जाय।

12. नाम निदेशन शुल्क की राशि रू0 350=00 जमा योग्य :-

नजिर रसीद से प्राप्त रकमों की प्रविष्टि का सत्यापन क्रम में पाया गया कि शीर्ष 2515/101 पंचायत के सहायक रोकड़ पुस्त में दिनांक 8.12.01 को विभिन्न नाजिर रसीदों से पंचायत चुनाव में नाम निदेशन (नोमिनेशन) शुक्ल विभिन्न तिथियों को प्राप्त किया गया था, लेकिन इस शुल्क की राशि को कोषागार में जमा नहीं किया गया था। जबकि सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना के पत्र सं0 483 दि0 03.02.01 के द्वारा प्रेषित अनुदेशों की कंडिका (xiii) के अनुसार नाम निदेशन शुक्ल की राशि शीर्ष 0515 में कोषागार में जमा योग्य थी।

इस संबंध में निर्गत आपत्ति के अनुपालन में उत्तर दिया गया कि राशि अविलम्ब कोषागार में जमा किया जाएगा। लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तिथि तक इस राशि को जमा नहीं किया गया।

राशि का विवरण निम्नवत् है –

क्रमांक	नजिर रसीद सं०/दिनांक	रकम	नाम एवं व्योरा	अभ्युक्ति
1	636443 / 5.12.01	100=00	मो० आलमगीर पे० असगर अली,वार्ड नं० -8, पंचायत-मंझवे, पंचायत सदस्य हेतु	
2	636444 / 6.12.01	50=00	जीव लाल मांझी, पे० स्व० भाजो मांझी, पं० मंझवे, वार्ड सं०-8 पंचायत सदस्य हेतु	
3	636445 / 6.12.01	100=00	मो० गुलाम मुस्ताफा,पे० - स्व० भाजो मांझी, पं०- मंझवे,वार्ड सं० -3 पंचायत सदस्य हेतु	
4	636446 / 7.12.01	50=00	जया देवी, पति-राज कुमार दास, पं०- मंझवे, वार्ड सं० -3 पं० सदस्य हेतु	
5	636447 / 8.12.01	50=00	उषा देवी, पति- मुडेरू दास, पं०- मंझवे, वार्ड सं० -3 पं० सदस्य हेतु	

रू० 350=00

अतः राशि रू० 350=00 संबंधित शीर्ष अन्तर्गत कोषागार में जमा कर प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग , बिहार पटना को अवगत कराया जाय।

13. कुल रू० 8,46,500=00 का अग्रिम अपूर्ण योजनाओं में असमायोजित :-

अंकेक्षण में प्रस्तुत योजना पंजी एवं योजनाभिलेखों की जाँच में पाया गया कि बड़ी राशि व्यय होने के बावजूद बहुत सारी योजनाएँ अपूर्ण थी। इतनी बड़ी राशि व्यय होने के बावजूद भी मूलभूत संरचना खड़ी नहीं हो सकी एवं सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। इससे संबंधित पूर्ण विवरणी परिशिष्ट (झ) पर दिया गया है।

इन योजनाओं को पूर्ण कराने की दिशा में अविलम्ब कार्रवाई की जाय एवं अग्रिम को समायोजन कर वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार पटना को अवगत कराया जाय।

14. रू० 3,66,577=00 की अस्थायी अग्रिम की राशि असमायोजित :-

अस्थायी अग्रिम पंजी की जाँच में पाया गया कि विभिन्न कार्यों को सम्पन्न करने हेतु विभिन्न कर्मचारियों को अस्थायी अग्रिम दी गई थी। कार्य सम्पन्न करने के बाद कर्मचारी द्वारा दिए गए अभिश्रव से अग्रिम समायोजन पश्चात् शेष राशि लौटाई नहीं गई थी। प्राप्त अग्रिम के विरुद्ध अभिश्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार अस्थायी अग्रिम की राशि उत्तरोत्तर बढ़ती गई। बिहार वित्त नियमावली के नियम 609 में निहित प्रावधानानुसार अस्थायी अग्रिम का समायोजन/वसूली यथा शीघ्र किया जाना चाहिए। साथ ही किसी कर्मचारी को दूसरा अग्रिम तभी प्रदान किया जाना चाहिए जब पूर्व में दिया गया अग्रिम पूर्णतः समायोजित हो। रू0 38,112=00 अस्थायी अग्रिम की राशि वर्षो पूर्व की है, जिनके समायोजन की संभावना प्रतीत नहीं होती है। ऐसी राशि की संबंधित व्यक्ति से समायोजन नहीं कराए जाने की दिशा में वसूली की कार्रवाई की जाय। संबंधित विवरणी परिशिष्ट (ज) पर दी गई है। अतः अग्रिम के समायोजन/वसूली की दिशा में आवश्यक कार्रवाई हेतु उच्चाधिकारी का ध्यान आकृष्ट किया जाता है एवं इस संबंध में की गई कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को भी अवगत कराया जाय।

15. रू0 11,25,864=89 का विचलन कर व्यय करने के संबंध में :-

सामान्य रोकड़ पुस्त एवं अप्रविष्ट अभिश्रव पंजी (असमायोजित अभिश्रव पंजी) की जाँच से पता चला कि बिहार कोषागार संहिता, भाग-1 के नियम 299, बिहार बजट मैनुअल के नियम 107 (2) तथा बिहार वित्तीय नियमावली, भाग -1 के नियम 8 एवं 489 की अवहेलना कर व्यय नहीं हुई राशि को कोषागार में जमा नहीं कर अथवा उनके प्राप्ति स्त्रोत को वापस नहीं कर उन्हें विचलन कर व्यय कर दिया गया था। इस पर नियंत्रण होने अथवा कमी आने के बजाय उपरोक्त नियमों की अवहेलना की प्रवृत्ति और बढ़ ही रही थी। इसे प्रतिवेदन में संलग्न परिशिष्ट (ड.) में सामान्य रोकड़ पुस्त के विस्तार के व्योरे से भली प्रकार समझा जा सकता है। अंकेक्षण अवधि की अंतिम तिथि दि0 31.03.02 तक असमायोजित अभिश्रव के रूप में कुल रू0 11,25,864=89 की राशि का विचलन हो चुका था।

विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करते हुए सुझाव दिया जाता है कि विचलन कर व्यय करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाते हुए रू0 11,25,864=89 के सामंजन की दिशा में प्रभावी कार्रवाई की जाय की गई कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को अवगत कराया जाय।

16. क्रीत ईंधन की औचित्य अस्पष्ट, राशि रू0 12,013=55 आपत्ति अन्तर्गत :-

शीर्ष 2515/102 विकास में हुए आकस्मिकता मद के व्यय की जाँच में पाया गया कि जाँच में पाया गया कि गाड़ी सं0 बी0 आर0 एच0 6018 हेतु विभिन्न तिथियों को ईंधन (डिजल आदि) का क्रय किया गया था, जिसका भुगतान दिनांक 31.3.02 को किया गया पाया गया। संबंधित गाड़ी का लॉग बुक प्रस्तुत करने के लिए कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से अनुरोध किया गया, परंतु अंकेक्षण में इसे प्रस्तुत नहीं किया गया। अतएव ईंधन की खपत की संपुष्टि नहीं की जा सकी। ईंधन के क्रय से संबंधित विवरणी परिशिष्ट (ट) दी गई है।

इससे संबंधित निर्गत आपत्ति का अनुपालन कर नहीं लौटाया गया। अतएव रकम रु0 12,013=55 के क्रीत ईधन की सही खपत की संतुष्टि जब तक नहीं होती है तब तक इस रकम को आपत्ति अन्तर्गत रखी जाती है।

17. रु0 1,21,500=00 के व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र अप्रस्तुत व्यय आपत्ति अन्तर्गत :-

विभिन्न शीर्षों में भुगतान से संबंधित व्ययों की जाँच में निम्न शीर्षों के व्यय से संबंधित अभिश्रव अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं हुए –

क्रमांक	शीर्ष	व्यय की तिथि	रकम	मद जिसे भुगतान किया गया	अभ्युक्ति
1	आई. आर. डी. पी.(2501)	27.9.01	10,000=00	चुल्हा निर्माण हेतु ऋण, शाखा प्रबन्धक, इलाहाबाद बैंक,बरूआ	
2	आई. आर. डी. पी.(2501)	31.12.01	10,000=00	स्वयं सहायता समूह, सचिव, आरती देवी,ठेठ	
3	आई. आर. डी. पी.(2501)	13.2.02	15,000=00	ग्रामीण महिला शिशु विकास समिति, अमरय	
4	आई. आर. डी. पी.(2501)	13.2.02	15,000=00	तदैव	
5	विशेष अंगीभूत योजना	10.1.02	32,500=00	प्रबन्धक,भूमि विकास बैंक,जमुई	
6	विशेष अंगीभूत योजना	16.1.02	39,500=00	शाखा प्रबन्धक,युको बैंक, जमुई	

रु0 1,21,500=00

उपर्युक्त रकमों से संबंधित आपत्ति निर्गत की गई थी जिसका अनुपालन कर नहीं लौटाया गया।

अतः रकम रु0 1,21,500=00 के व्यय से संबंधित कागजात /अभिश्रव जिसे रकम का भुगतान किया गया था उस संस्था से उपलब्ध करा कर उनकी जाँच कर यह संतुष्ट हो लिया जाय कि व्यय उचित था। बिना व्यय की पड़ी राशि को वापस लाकर उचित शीर्ष के अन्तर्गत जमा की जाय। यदि वित्तीय कदाचार के मामले पाए जाएँ तो जिम्मेदार व्यक्ति पर यथोचित कार्रवाई की जाय। अनुपालन से वित्त (अंकेक्षण) विभाग,बिहार,पटना को अवगत कराया जाय।

18.निर्वाचन कर्तव्य में लगे व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति को अग्रिम भुगतान,राशि रु0 3400=00 आपत्ति अन्तर्गत :-

शीर्ष 2515/101 पंचायत से संबंधित मतदान के क्रम में मतदान कर्मियों आदि को दिए गए अग्रिम की जाँच में पाया गया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, 2001 में मतदान के अवसर पर दिनांक 25.4.01 को निम्नलिखित व्यक्तियों को कुल ₹0 3400=00 अग्रिम दिया गया था। कुल भुगतान की रकम मतदान कर्मियों के अग्रिम भुगतान की वितरण पंजी के पृष्ठ सं० 1-9 में सम्मिलित है। चुनाव अग्रिम की राशि ऐसे व्यक्तियों को दी गई थी, जो दैनिक उम्मीदवार के रूप में प्रखण्ड एवं अंचल में उम्मीदवार जीप चालक के रूप में कार्य कर रहे थे। साथ ही अग्नि शमन सेवा मुंगेर के कर्मचारियों को भी चुनाव अग्रिम दिया गया। इनके चुनाव कार्य में लगाए जाने का आदेश या पार्टी संख्या आदि का कुछ भी उल्लेख अभिलेख में किया गया नहीं पाया गया।

इस संबंध में निर्गत आपत्ति का अनुपालन कर नहीं लौटाया गया।

अतः उच्चाधिकारी द्वारा जाँच कर यह संतुष्ट हो लिया जाय कि इन व्यक्तियों को दी गई अग्रिम की राशि उचित था अन्यथा रकम ₹0 3400=00 की संबंधित उत्तरादायी व्यक्ति से वसूली कर उचित शीर्ष में कोषागार में जमा किया जाय। तब तक रकम ₹0 3,400=00 आपत्ति अन्तर्गत रखी जाती है।

संबंधित विवरण इस प्रकार है –

क्रमांक	अग्रिम पाने वाले का नाम एवं पदनाम	उद्देश्य	रकम	वितरण पंजी का भोल्युम सं०	अभ्युक्ति
1	श्री राम चन्द्र सिंह, प्र० अ० सेवा	X	200=00	7/8	
2	श्री राम नरेश प्र० सिंह, प्र० चालक	X	200=00	7/8	
3	श्री रामाशीष प्रसाद, अग्निक	X	200=00	7/8	
4	श्री अनिल तिवारी, अग्निक	X	200=00	7/8	
5	श्री सत्यदेव गैर, अग्निक	X	200=00	7/8	
6	श्री मनोज कुमार सिंह उम्मीदवार जीप चालक, प्रखण्ड जमुई	X	1,000=00	7/9	
7	तदैव	X	200=00	7/9	
8	यदु रावत उम्मीदवार जीप चालक अंचल जमुई	X	1,200=00	7/9	

₹0 3,400=00

19. ₹0 6,68,648=85 से संबंधित अभिलेख अंकेक्षण में अप्रस्तुत, आपत्ति अन्तर्गत :-

अंकेक्षण के बार-बार मौखिक एवं लिखित अनुरोध के बावजूद कुछ शीर्षों के अन्तर्गत व्यय की गई राशि से संबंधित अभिलेख/अभिभ्रव अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे संबंधित विवरण परिशिष्ट (ठ) पर दिया गया है।

जाँच कर यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि ₹0 6,68,648=85 से संबंधित व्यय नियमानुकूल उनके उद्देश्य में हुआ था। बातें विपरीत होने पर किसी भी प्रकार के कदाचार

के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों पर यथोचित कार्रवाई की जाय। अनुपालन से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराया जाय।

भाग -2

20. सामान्य अनियमितताएँ :-

(क) शीर्ष 2505 एन. आर. ई. पी. के अन्तर्गत दिनांक 3.10.01 को जिला कोषागार, जमुई से विपत्र सं० 45/01-02 की रकम रू० 8,910=00 की निकासी की गई थी, लेकिन इस रकम की प्रविष्टि संबंधित सहायक रोकड़ पुस्त के न तो आय पक्ष में तथा व्यय से संबंधित रकम की प्रविष्टि व्यय पक्ष में भी नहीं की गई थी। साथ ही विपत्र पंजी में विपत्र प्राप्ति के विरुद्ध आद्याक्षर किया गया था। इस रकम को प्राप्त कर सीधे वेतन भुगतान पंजी के पृष्ठ सं० 148 पर श्री श्याम देव प्र० यादव ,क० अभि० को माह अगस्त,01 का वेतन स्वरूप भुगतान किया गया पाया गया। कोई भी लेन-देन रोकड़ पुस्त में प्रविष्ट किए बिना संपादित किया जाना बिहार वित्तीय नियमावली, भाग-1 के नियम 86 का उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में गबन होने की संभावना बढ़ जाती है। अतः सुझाव है कि भविष्य में इस नियम का उल्लंघन न किया जाय।

(ख) आकस्मिकता पंजी में पाया गया कि विपत्र से निकासी की गई रकम को मद लिखकर पूरी रकम लिख दी गई एवं पूरी रकम को ही व्यय में लिख दिया गया। व्यय से संबंधित पूर्ण विवरण पंजी में किया जाना आवश्यक था।

अतः सुझाव है कि भविष्य में आकस्मिक पंजी का संधारण सही ढंग से किया जाय।

(ग) अन्य- कार्यालय में भंडार -पुस्त का संधारण नहीं किया पाया गया। सुझाव है कि भंडार पुस्त का संधारण किया जाय। उच्चाधिकारियों के निरीक्षण से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई लेकिन इसे अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। सुझाव है कि अभिलेखों के रखरखाव पर ध्यान देकर सही ढंग से रखा जाय।

लेखा नियंत्रक
वित्त(अंकेक्षण)विभाग,बिहार पटना

मिलान एवं शुद्धिकर्ता का हस्ताक्षर

(1)

(2)

परिशिष्ट (क)

कंडिका 1(ट) से संबंधित

प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :-

(क) प्रस्तुत अभिलेख

1. विपत्र पंजी
2. विप्रेषण पंजी
3. आवंटन पंजी
4. सामान्य रोकड़ पंजी
5. वेतन भुगतान पंजी
6. सहायक रोकड़ पुस्त- सभी शीर्षों का
7. असमायोजित अभिश्रव पंजी
8. यात्रा भत्ता भुगतान पंजी (2515/102 विकास)
9. अस्थायी अग्रिम पंजी
10. चेक पंजी
11. आकस्मिक अभिश्रव, शीर्ष 2515/102 (आंशिक) एवं शीर्ष 2505 एन. आर. ई. पी.
12. नाजिर रसीद
13. योजना पंजी - सांसद/विधायक/पार्षद, जलघार, सुनिश्चित रोजगार, इंदिरा आवास
14. योजना अभिलेख - उपर्युक्त योजनाओं से संबंधित एवं सधन रोजगार, इंदिरा आवास न्यू बुनियादी, विशेष अंगीभूत योजना, लघु सिंचाई
15. भुगतान अभिश्रव - सा0 सु0 पेंशन (केंद्रांश एवं राज्यांश) 2235 कल्याण, दीपशिखा, जनगणना, 2015 निर्वाचन, 2515/101 पंचायत, 2505 एन. आर. ई. पी. एवं 2515/102 विकास (आंशिक)
16. यात्रा भत्ता विपत्रों की कार्यालय प्रतियाँ - शीर्ष 2515/102 विकास

(ख) अप्रस्तुत अभिलेख

1. गाडी लॉग बुक (बी. आर. एच. 6018)
2. गाडी सेवा इतिहास
3. सेवा पुस्त
4. भंडार पुस्त
5. शीर्ष 2505 एन. आर. ई. पी. का यात्रा भत्ता विपत्रों की कार्यालय प्रतियाँ एवं यात्रा भत्ता भुगतान पंजी।
6. अन्य

**परिशिष्ट 'ख' कंडिका 1(ड) से सम्बन्धित
आवंटन एवं व्यय विवरणी वर्ष 2001-02
शीर्ष 2515 (102)**

क्र०	मद का नाम	आवंटन	व्यय	बचत	अधिक व्यय	अभ्युक्ति
1	वेतन	1617000.00	1487749.00	129251.00	—	प्रत्यार्पण से संबंधित पत्र अप्राप्त
2	यात्रा भत्ता	12500.00	12500.00	—	—	जिला पदा० जमुई के
3	कार्यालय व्यय	14500.00	14500.00	—	—	पत्रांक 180 स्था० दि० 22.2.02 के
4	वाहन रखरखाव	33000.00	33000.00	—	—	आलोक में इन मदों की राशि चाल० सं०
5	वर्दी	1400.00	700.00	700.00	—	1 / 25.2.02 एवं 15 / 27.2.02 से जमा वर्दी 700.00
6	विधुत	900.00	600.00	300.00	—	विधुत 300.00 किराया महसूल 2250.00 दूरभाष— 3538.00
7	दूरभाष	10600.00	262.00	10338.00	—	वेतन एवं अन्य मदों की शेष बचत राशि के
8	किराया महसूल कर	4500.00	—	4500.00	—	प्रत्यार्पण से संबंधित पत्र अप्राप्त ।

शीर्ष 2235 सा० सु० (वर्ष 2001-02)

1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन	89800.00	70964.00	18836.00	—	

शीर्ष 2515 / 101 पंचायत (वर्ष 2001-02)

1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन	848648.00	784588.00	64060.00	—	

शीर्ष 2053 जिला प्रशासन 2001-02

1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन	198400.00	189318.00	9082.00	—	

शीर्ष 2505 एन आर0 ई0 पी0 (2001-02)

1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन	177600.00	166873.00	10727.00	—	
2	यात्रा भत्ता	9300.00	8800.00	500.00	—	
3	कार्यालय व्यय	20000.00	20000.00	—	—	

**परिशिष्ट 'ग' कडिका 1(ड) से संबंधित
अन्य स्रोत से प्राप्ति एवं व्यय विवरणी वर्ष 2001-02**

क्र०	शीर्ष	पूर्व का अवशेष	प्राप्ति	कुल प्राप्ति	व्यय	अवशेष	अभ्युक्ति
1	जे० आर० वाई 20 प्रतिशत	27558.00	24500.00	52058.00	30038.00	22020.00	
2	सधन रोजगार	236130.00	शून्य	236130.00	116859.00	119271.00	
3	इंदिरा आवास सामान्य	561826.58	4000500.00	4562326.58	3289123.00	1273203.58	
4	सुनिश्चित रोजगार	85019.00	2179776.00	2264795.00	1865044.00	399751.00	
5	जलधारा	190.69	94875.00	95065.69	68927.00	26138.69	
6	ट्रायसम	32391.04	4769.00	37160.04	शून्य	37160.04	
7	सांसद/विधायक/पार्षद	1064194.00	1600550.00	2664744.00	1785234.00	879510.00	
8	2235 सा० सु० पेंशन	598300.01	1479600.00	2077900.01	2077200.00	700.01	
9	2235 राष्ट्रीय सा० सु० पेंशन	330096.00	1388400.00	1718496.00	1182300.00	536196.00	
10	इंदिरा आवास न्यू बुनियादी	60000.00	300000.00	360000.00	360000.00	शून्य	
11	विशेष अंगीभूत योजना	284217.00	634450.00	918667.00	281395.00	637272.00	
12	आई० आर० डी० पी० (2501)	259751.25	477850.00	737601.25	50750.00	686851.25	
13	लघु सिंचाई (306)	52072.37	शून्य	52072.37	52072.00	0.37	
14	शिक्षा	134210.50	327617.00	34288.00	34288.00	427539.50	
15	आई० आर० डी० पी० इन्फ्रास्ट्रक्चर	528048.50	शून्य	445206.00	445206.00	82842.50	
16	विविध	109689.78	शून्य	5000.00	5000.00	104689.78	
17	दीप शिखा	5959.00	139284.00	135390.00	135390.00	9853.00	
18	जनगणना	6856.00	316792.00	312408.00	312408.00	1140.00	
19	निर्वाचन (2015)	6573.82	179923.00	98573.00	98573.00	87923.82	
20	प्र० मंत्री इंदिरा आवास	शून्य	2285642.00	1045000.00	1045000.00	1240642.00	
21	कल्याण (2235)	255695.00	495580.00	617638.00	617638.00	133637.00	
22	पंचायत चुनाव (2515/101)	42074.00	656129.00	698203.00	698203.00	शून्य	

**परिशिष्ट 'ध' कडिका 1'ड' से संबंधित
शीर्ष वार एवं बैंक वार राशि की विवरणी दिनांक 20.11.2009**

शीर्ष वार

क्र०	शीर्ष वार	राशि
1	2515 (102) सा० वि०	30615.00
2	2515 (101) पंचायत	3477.00
3	2235 / सा० सु०	— .01
4	2225 / कल्याण	1421332.00
5	2015 / निर्वाचन	177268.54
6	2245 / जि० यो०	11970.00
7	2230 / श्रम	13817.60
8	2053 / जि० प्र०	—
9	2505 / एफ० आर० ई० पी०	1100.00
10	8005 / 2071 (पेंशन)	—
11	306 लघु सिंचाई	0.37
12	इंदिरा आवास सामान्य	1620499.58
13	प्रधान मंत्री ग्रा० आवास	285350.00
14	सांसद / पार्षद योजन	1279001.00
15	विधायक योजना	351434.00
16	राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	3474.00
17	सम्पूर्ण ग्रा० रो० यो०	15480.00
18	द्वादश वित्त योजना	254067.00
19	एकादश वित्त योजना	565.00
20	विशेष अंगीभूत यो०	406157.00
21	एस० फी० एस० वाई (आधारभूत)	943496.25
22	ट्रायसेम	26360.04
23	ब्याज	517400.42
24	गृहस्थल	40909.26
25	हरियाली	672315.00
26	शौचालय	52800.00
27	बी० आर० पी० एफ	1095750.00
28	मु० म० कन्या विवाह यो०	5000.00
29	कबीर अंत्येष्टि	180000.00
30	ज० रो० यो० 20 प्रतिशत	4418.00
31	पंचायत समिति	282430.00
32	ग्राम कचहरी	81610.00
33	रॉयल्टी	21675.00
34	बिक्री कर	32505.00

35	शिक्षा	567944.50
36	जन्गणना	11240.00
37	जलधारा	3016.69
38	विविध	2053612.20
39	स्थायी अग्रिम	400.00
40	सूचना का अधिकार	20.00
41	एस0 जी0 एस0 वाई0	73048.50
42	पैक्स चुनाव	3205.00
43	मु0 म0 महादलित पोशाक	306590.00

योग— 1285135.04

बैंक वार

क्र0	शीर्ष वार	खाता सं0	राशि
1	डाक घर, जुमई		816.63
2	भा0 स्टेट बैंक, जमुई	01000050	105133.88
3	यूको बैंक, जमुई	349	1103047.00
4	यू0 बी0 आई, जमुई	3740	—
5	यू0 बी0 आई, जमुई	991481	48000.00
6	यू0 बी0 आई, जमुई	991480	1129104.00
7	स्वकारिता बैंक, जमुई	990559	45145.00
8	स्वकारिता बैंक, जमुई	3534	34641.00
9	क्षे0 ग्रा0 बैंक, जमुई	1859	1608.00
10	यू0 बी0 आई0, जमुई	1321	8832.00
11	इलाहाबाद बैंक, जमुई	3504	20759.00
12	इलाहाबाद बैंक, जमुई	C-11	111080.00
13	केनरा बैंक, जमुई	569	94843.00
14	केनरा बैंक, जमुई	347	621567.00
15	यू0 बी0 आई0, जमुई	1262	699818.00
16	इलाहाबाद बैंक, अगहरा	7282	3735.00
17	केनरा बैंक, जमुई	2311	5734.00
18	क्षे0 ग्रा0 बैंक, नवीननगर	616	4266.00
19	इलाहाबाद बैंक, अमरथ	1391	88022.00
20	भा0 स्टेट बैंक, हरनारायणपुर	268	4108.25
21	भा0 स्टेट बैंक, हरनारायणपुर	25	20291.40
22	यू0 बी0 आई0 जमुई	1152	261086.00
23	बी0 ओ0 आई0 जमुई	990560	177413.40
24	केनरा बैंक, जमुई	1336	75922.00
25	यू0 बी0 आई0, जमुई	415	1237363.00

26	असमायोजित अभिश्रव	7227	2667834.54
27	अस्थायी अग्रिम	—	3144578.00
28	21.5 से 22.5.93 में चोरी	—	33719.00
29	अल्या चार राहत कोष का अवितरित चेक	—	81250.00
30	इंदिरा आवास एवं मु० मं० कन्या विवाह का अवितचेक	—	21000.00
31	एकल ताला	—	1633.94

योग— 12851351.04

**परिशिष्ट 'ड' कंडिका 1(ड) से सम्बन्धित
दिनांक 1.4.2001 एवं दिनांक 31.3.2002 का मदवार राशि की विवरणी :-**

क्रमांक	शीर्ष (मद)	दिनांक 1.4.2001 का प्रारंभण शेष	दिनांक 31.3.2002 का संवरण शेष
1	2415 (102) विकास	26894.99	—
2	2515 पंचायत	42074.00	—
3	जे० आर० वाई० 20 प्रतिशत	27558.00	22020.00
4	सधन रोजगार	236130.00	88569.00
5	इंदिरा आवास (सामान्य)	561826.58	12733203.58
6	सुनिश्चित रोजगार	85019.00	399751.00
7	जलधारा	190.69	3016.69
8	विधायक/पार्षद/सांसद	1064194.00	879510.00
9	2235 सा० सु० पे०	598300.01	700.01
10	ट्राइसम	32391.04	37160.04
11	2245 जिला योजना	679.00	679.00
12	70/2235 रा० सा० सु० पे०	330096.00	536196.00
13	2225 कल्याण	255695.00	133637.00
14	इंदिरा आवास न्यू बुनियादी	60000.00	—
15	विशेष अंगीभूत	284217.00	637272.00
16	आई० आर० डी० पी० (2501)	259751.25	686851.25
17	306 लघु सिंचाई	52072.37	0.37
18	शिक्षा	134210.50	427539.50
19	वानकी	61072.50	61072.50
20	2230 श्रम	13817.60	13817.60
21	गृह स्थल	41309.26	41309.26
22	डी० पी० ए० पी०	70.50	70.50
23	प्रशासनिक व्यय	81.95	81.95
24	आई० आर० डी० पी० इन्फ्रास्ट्रक्चर	528048.50	82842.50
25	विविध	109689.78	104689.78
26	स्थायी अग्रिम	400.00	400.00
27	दीप शिखा	5959.00	9853.00
28	जनगणना	6856.00	11240.00
29	305 बायोगैस	694.24	694.24
30	ब्याज	758.75	1124857.42
31	2015 निर्वाचन	6573.82	87923.82
32	जिला प्रशासन	—	—
33	एन० आर० ई० पी०	—	—
34	प्रधानमंत्री ई० आवस योजना	—	1240642.00

योग— 4826631.33

7905600.01

परिशिष्ट – कंडिका – से संबंधित
दिनांक 1.4.2001 एवं दि० 31.3.2002 का बैंक में जमा राशि की विवरणी :-

क्र०	बैंक का नाम	खाता सं०	दि० 1.4. 2001	दि० 31.3. 2002	अभ्युक्ति
1	डाकधर	—	818.63	818.63	
2	एस० बी० आई०, जमुई	—	447131.88	23808.88	
3	एस० बी० आई० हरनारायणपुर	—	4108.25	4108.25	
4	एस० बी० आई० हरनारायणपुर	—	45388.35	192446.40	
5	ग्रामीण बैंक, जमुई	—	180466.43	259108.00	
6	ग्रामीण बैंक, नवीनगर	—	4266.00	4266.00	
7	युनि० बैंक, जमुई	3504	326131.44	328949.44	
8	युनि० बैंक, जमुई	26011	12331.47	12331.47	
9	युनि० बैंक, जमुई	7226	1165.00	1165.00	
10	युनि० बैंक, जमुई	7227	303540.00	2427569.00	
11	युनि० बैंक, जमुई	7282	266998.00	732325.00	
12	युनि० बैंक, जमुई	7289	171454.00	190120.00	
13	युनि० बैंक, जमुई	8147	500.00	2784.00	
14	यू० को० बैंक, जमुई	—	252248.95	192598.90	
15	इलाहाबाद बैंक अमरथ	—	5846.30	5846.30	
16	इलाहाबाद बैंक अमरथ S.B	—	172140.15	396809.00	
17	इलाहाबाद बैंक अगहरा (c)	—	20759.00	20759.00	
18	इलाहाबाद बैंक अगहरा (S.B)	—	1309316.75	1429621.00	
19	सहकारिता बैंक, जमुई	—	500.00	500.00	
20	अस्थायी अग्रिम	—	164969.00	404689.00	
21	अनपोस्टेड भाउचर	—	989290.14	1125864.89	
22	थह० 21/5— 22.5.93 रात्रि की चोरी	—	50579.00	50579.00	
23	एक हरी ताला	—	96682.59	98532.85	
			4826631.33	7905600.01	

परिशिष्ट 'च' कंडिका 1(ड) से संबंधित

स्वीकृत एवं कार्यरत बल की सूची वर्ष 2001-02

क्र०	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त बल	अभ्युक्ति
1	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	1	1	—	
2	प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी	1	1	—	
3	प्रखण्ड स० प्र० पर्यवेक्षक	1	1	—	
4	ग्राम पं० पर्यवेक्षक	1	1	—	
5	कनीय अभियंता	2	2	—	
6	प्र० लिपिक सह लेखापाल	1	1	—	
7	लिपिक	1	1	—	
8	जनसेवक	10	2	8	
9	पत्राचार लिपिक	1	1	—	
10	भंडार पाल	1	1	—	
11	अनुसेवक	4	3	1	
12	उर्दू टंकक	1	1	—	
13	सहायक उर्दू अनुवादक	1	1	—	
14	जंजीर वाहक	1	1	—	
15	पंचायत सेवक / ग्राम सेवक	12	10	2	

परिशिष्ट 'छ' कंडिका -4 से संबंधित

क्र० सं०	कर्मचारी/पदा० का नाम एवं पदनाम	वेतनमान	विपत्र सं० वर्ष	महीना	दिनों की संख्या	भुगति विराम मात्रा की दर	भुगतेय विराम भत्ता की दर	अंतर दर की राशि (7-8)	कुल भुगतान की राशि कॉलम 6xकॉलम	भुगतान तिथि	अभ्युक्ति
1	श्री सुरेन्द्र प्रसाद प्र० स० प्र० पदा०	7250/-	29/01-02	नवम्बर '01	9	120.00	105.00	15.00	135.00	20.3.02	शीर्ष 25/5/102 विकास
			"	अक्टूबर '01	6	120.00	105.00	15.00	90.00	"	
			"	सितम्बर '01	7	120.00	105.00	15.00	105.00	"	
			"	अगस्त '01	9	120.00	105.00	15.00	135.00	"	
			"	जुलाई '01	8	120.00	105.00	15.00	120.00	"	
			"	जून '01	9	120.00	105.00	15.00	135.00	"	

योग— 720.00

**परिशिष्ट 'ज' कंडिका -10 से सम्बंधित
रॉयल्टी कटौती की विवरणी**

क्र०	शीर्ष	योजना सं०	योजना का नाम	रॉयल्टी की कटौती की राशि	अभिलेख की तिथि	अभ्युक्ति
1	सुभि रो० योजना	19/99-00	ग्राम दंद में राजेन्द्र सिंह घर से काली स्थान तक पथ में ईट सोलिंग।	3342.00	21.2.02	
2	"	2/97-98	ग्राम काकन मुशहरी में प्रा० वि० भवन निर्माण	2134.00	28.8.01	
3	"	15/98-99	ग्राम प्रतापपुर मकतब दो कमरे का निर्माण।	2554.00	13.7.01	
4	"	9/99-00	लखने धनामा ग्राम काली में ईट से लिंग	962.00	6.3.02	
5	"	10/99-00	संथु पी० डब्लू डी० पथ से नौआडीह ग्रामीण पथ में मोटल, मोरम कार्य	1940.00	26.3.02	
6	"	7/99-00	लखीसराय पथ से सिमरिया विक्रमपुर सड़क तक ग्रेड -1 ग्रेड-2 तथा मोरम मिट्टी पथ कार्य	15042.00	21.6.01	
7	विधायक	5/00-01	ग्राम विहारी में पेयजल कूप मरम्मत	144.00	28.2.01	
8	"	29/98-99	प्रतापपुर में चबूतरा सह पंडाल निर्माण	385.00	27.3.02	
9	"	10/01-02	खड़सारी ग्रामीण पथ में ईट सोलिंग	1157.00	26.3.02	
10	जलधारा	9/98-99	ग्राम मंझवे में जगतपुर पहाड़ के निकट चेक डैम्प का निर्माण	291.00	6.7.01	
11	"	26/98-99	हरनारायण पुर आहर में छिलका एवं नाला निर्माण	3897.00	6.7.01	

कुल योग— 31848.00

**परिशिष्ट 'झ' कंडिका -13 से संबंधित
सामान्य इंदिरा आवास "नव निर्माण" वर्ष 2001-02**

क्र0	योजना सं0 एवं वर्ष	लाभुक का नाम एवं पता	अग्रिम		कुल राशि	अभ्युक्ति
			तिथि	राशि		
1	5/2001-02	तेतरी देवी पति धतुरी, पासवान सा0 मड़वा	12.12.01 20.02.02 15.03.02	5000.00 5000.00 7500.00	17500.00	सभी में प्रा0 राशि 20000/- की दर से हैं।
2	16/2001-02	मो0 अमलवा देवी पति स्व0 अर्जुन रवि दा0 सा0 बोरार	24.12.01 8.07.05	5000.00 5000.00	10000.00	
3	17/2001-02	मो0 शान्ति देवी प0 स्व0 भोकल मांझी सा0 बोरार	24.12.01 8.07.05	5000.00 5000.00	10000.00	
4	19/2001-02	श्रीमती करनी देवी प0 पप्पू मंडल सा0 डोमनपुर	26.12.01 16.01.02 10.07.02	5000.00 5000.00 7500.00	17500.00	
5	20/2001-02	धयमन्ति देवी प्र0 इन्द्रदेव पासवान सा0 करकटा	26.12.01 16.01.02 9.06.02	5000.00 5000.00 7500.00	17500.00	
6	36/2001-02	सुनीता देवी प0 ललन मंडल सा0 करकटा	26.12.01 13.02.02 5.08.02	5000.00 5000.00 7500.00	17500.00	
7	37/2001-02	चंचला देवी प0 नारद राम सा0 बरूअरा (अगहरा)	26.12.01 5.03.03	5000.00 5000.00 7500.00	17500.00	
8	38/2001-02	मंजु देवी प0 भोकारं मंडल सा0 इकैरिया	7.05.03 26.12.01 13.02.02	5000.00 5000.00 7500.00	17500.00	
9	39/2001-02	चमेली देवी प0 स्व0 सिद्धेश्वर रविदास सा0 काकन	15.03.02 26.12.01 16.01.02 30.5.02	5000.00 5000.00 7500.00	17500.00	
10	42/2001-02	पविमा देवी प0 राजेद्रर विदास सा0 काकन	26.12.01 16.1.02 5.8.02	5000.00 5000.00 7500.00	17500.00	
11	47/2001-02	चिन्ता देवी प0 चंद्रिका रविदास सा0 काकन	26.12.01 9.01.02 5.08.02	5000.00 5000.00 7500.00	17500.00	
12	51/2001-02	मानो देवी प0 श्री सुरेश पासवान सा0 लोटन	2.1.02 15.5.02 30.9.04	5000.00 5000.00 7500.00	17500.00	

13	54 / 2001-02	सुकुमारी देवी प0 राजु पासवान ग्रा0- लोटन	2.1.02 16.8.02	5000.00 12500.00	17500.00	
14	58 / 2001-02	पार्वती देवी प0 जुलो पासवान ग्रा0-लोटन	2.1.02 15.5.02	5000.00 12500.00	17500.00	
15	62 / 2001-02	श्रीमती उषा देवी प0 कृष्णदेव सिंह ग्रा0-सहुर	9.1.02 8.2.02 6.3.02	5000.00 5000.00 7500.00	17500.00	
16	64 / 2001-02	सिया देवी प0 वासुदेव मांझी ग्रा0- खडसारी	9.1.02 17.3.05	5000.00 12500.00	17500.00	
17	68 / 2001-02	रजिया देवी प0 जर्हाही मांझी ग्रा0- खडसारी	9.1.02 17.3.02 4.1.03	5000.00 5000.00 7500.00	17500.00	
18	69 / 2001-02	उर्मिला देवी प0 जानकी मांझी ग्रा0-चन्दवारा	9.1.02 16.7.02 25.10.02	5000.00 5000.00 7500.00	17500.00	
19	72 / 2001-02	परमेश्वरी देवी प0 शिवम यादव ग्रा0- नवेदा	9.1.02 14.2.02 20.3.02	5000.00 5000.00 7500.00	17500.00	
20	73 / 2001-02	विरसा देवी प0 जालो पासवान ग्रा0 - डुन्डी	9.1.02 6.3.02 28.3.02	5000.00 5000.00 7500.00	17500.00	
21	74 / 2001-02	तिलो मिस्त्री पि0 राम खेलावन मिस्त्री ग्रा0- खडसारी	9.1.02 21.7.03 27.11.04	5000.00 5000.00 7500.00	17500.00	
22	84 / 2001-02	फुलो देवी प0 जदु महतो ग्रा0- अडसार	16.1.02 30.1.02 14.2.02	5000.00 5000.00 7500.00	17500.00	
23	89 / 2001-02	सुखाडी मांझी प0 नौरंगी मांझी ग्रा0 - दौलतपुर	16.1.02	5000.00	5000.00	
24	93 / 2001-02	कुंती देवी प0 परशुराम मांझी ग्रा0- हौलतपुर	16.1.02 21.2.02 24.3.02	5000.00 5000.00 7500.00	17500.00	
25	96 / 2001-02	उमा देवी प0 संजय मंडल ग्रा0- डोमापुर	16.1.02 13.2.02 5.6.02	5000.00 5000.00 7500.00	17500.00	
26	97 / 2001-02	पार्वती देवी प0 महेश मांझी ग्रा0 - दौलत पुर	16.1.02 21.2.02 24.5.02	5000.00 5000.00 7500.00	17500.00	
27	106 / 2001-02	राजकुमार मांझी पि0 फोसन मांझी ग्रा0- मंझवे	23.1.02 13.2.02 30.2.02	5000.00 5000.00 7500.00	17500.00	
28	107 / 2001-02	श्रीमती दहनी देवी प0 दुर्गा मांझी ग्रा0 मंझवे	23.1.02 13.2.02 5.6.02	5000.00 5000.00 7500.00	17500.00	

29	108/2001-02	लाल परी देवी प0 बच्चू मांझी ग्रा0 मंझवे	23.1.02 13.2.02 5.6.02	5000.00 5000.00 7500.00	17500.00	
30	109/2001-02	मकनवा देवी प0 कन्हाय रजक ग्रा0 बरुगहा	23.1.02 28.3.02 28.3.07	5000.00 5000.00 7500.00	17500.00	
31	112/2001-02	सोभा देवी प0 पूरन मांझी ग्रा0- नवदो	30.1.02 9.3.02 17.6.02	5000.00 5000.00 7500.00	17500.00	

योग- 515000.00

इन्दिरा आवास बुनियादी

क्र०	योजना सं०	लभुक का नाम एवं पता	अग्रिम		कुल अग्रिम	अभ्युक्ति
			दिनांक	रकम		
1	36 / 98-99	विरजू मांझी, रजु मांझी, काकन	13.5.99 6.7.01 5.9.01	5000.00 5000.00 7500.00	17500.00	प्रति इकाई आवास का प्राक्कलित रकम रु० 20000.00 वर्ष 2001-02 में भी अग्रिम दी गई फिर भी आज तक कार्य अपूर्ण रहा। नोटिस निर्गत
2	101 / 98-99	प्रभु मांझी, रामदेव मांझी काकन	30.12.97 16.6.2000 10.10.01	5000.00 7000.00 2000.00	14000.00	“
3	247 / 98-99	परमेश्वर ठाकुर देवी ठाकुर, सुन्दरी बहरायन	23.3.99 1.7.99 14.7.01	5000.00 7000.00 7500.00	19500.00	“
4	286 / 98-99	मुन्शी मांझी, संमर मांझी, लोहरा	8.4.99 21.5.99 5.9.01	5000.00 6000.00 7500.00	18500.00	“
5	287 / 98-99	परिया देवी, साधु मांझी, लोहरा	8.4.99 21.5.09 6.7.01	5000.00 6000.00 7000.00	18000.00	“
6	23 / 99-2000	झमन मांझी, स्व० डोली मांझी, गरसजडा	4.12.99 26.9.01	5000.00 5000.00	10000.00	—
7	24 / 99-2000	अबुल हसन, लियाकत हुसैन, नर्वदा	30.12.99 12.9.01	5000.00 5000.00	10000.00	—
8	38 / 99-2000	गनौरी मांझी, बैजु मांझी, जन्वीनगर	4.1.2000 29.3.2000 26.9.01	5000.00 7000.00 6000.00	18000.00	नोटिस निर्गत
9	54 / 99-2000	महेन्द्र मांझी, रोहन मांझी, नर्वदा	7.1.2000 12.10.2000 12.9.01	5000.00 7000.00 6000.00	18000.00	—
10	115 / 99-2000	शशि मांझी, मलिन मांझी, संगुन	4.7.2000 21.7.2000 5.9.01	5000.00 7000.00 6000.00	18000.00	—
11	75 / 99-2000	पूरन मांझी, कार्तिक मांझी, नर्वदा	7.1.2000 12.12.2000 10.7.01	5000.00 6000.00 2000.00	13000.00	
				योग—	174500.00	

**परिशिष्ट 'ग' कंडिका -14 से संबंधित
अस्थायी अग्रिम की विवरणी**

क्र०	अग्रिम प्राप्तकर्ता का नाम एवं पदनाम	अग्रिम की तिथि	प्रयोजन	अग्रिम की रकम	अभ्युक्ति
1	श्री राम बालक सिंह, नाजिर	—	—	512.00	अंकेक्षण अवधि के पूर्ण अग्रिम की
2	श्री जनार्दन सिंह, टंकक	—	—	74.00	
3	श्री दामोदर प्र० सिंह आपूर्ति निरीक्षक	—	—	20.00	
4	मनियड्डा पंचायत में चुनाव, 2000 पार्टी को अग्रिम	—	चुनाव पार्टी को	650.00	
5	अड़सार पंचायत में चुनाव पार्टी को अग्रिम	—	“	130.00	
6	श्री शशि भूषण सिंह, बिहारी	—	—	100.00	
7	श्री राम विलास पासवान, सहायक	—	—	7200.00	
8	श्री राम प्रवेश सिंह, कल्याण पदा०	17.8.96	छात्रवृत्ति वितरण	826.00	
9	श्री वसंत कुमार वर्मा, जनसेवक	—	बाल श्रमिक पोषाहार वितरण	11200.00	
10	श्री वृजनन्दन सिंह, सहायक	2.3.90	कार्यालय कार्य हेतु	1000.00	
11	श्री रामानन्द सिंह, जनसेवक	29.5.99	पोषाहार गेहूँ वितरण	7500.00	
12	श्री मनोज कुमार, जीप चालक	8.10.96	जीप का एम भी आई० जाँच हेतु मुंगेर जाने में।	600.00	
13	श्री चन्द्र शेखर सिंह, पं० से०	13.7.96	—	1500.00	
14	श्री सुन्दर सिंह, अनुसेवक	14.7.97	प्रतिवेदन मुंगेर पहुँचाने हेतु	600.00	
15	विधान सभा चुनाव, 2000 में वाहन अग्रिम	14.2.2000	वाहन को अग्रिम	2700.00	
16	श्री नरेश मिस्त्री, जमुई	18.10.90	गाड़ी बनाने हेतु	3500.00	
17	श्री निरंजन कुमार सिंह, पं० से०	29.9.01	वृद्धापेंशन वितरण हेतु	2400.00	366577.00 अंकेक्षण अवधि में की

18	श्री अवधेश कुमार सिंह, पं० से०	29.9.01	तदैव	3500.00	गयी अस्थायी अग्रिम
19	तदैव	1.02.02	तदैव	8000.00	
20	श्री उमेश मंडल, कल्याण पदा०	27.3.02	छात्रवृत्ति वितरण	123077.00	
21	श्री अशोक कुमार गुप्ता, प्र० शि० पदा०	27.03.02	प्रोत्साहन भत्ता वितरण	229600.00	

योग— 404689.00

परिशिष्ट 'ट' कंडिका -16
शीर्ष 2515/102 विकास (क्रीत इंधन) से सम्बंधित विवरणी

क्र० सं०	अभिध्र व सं०	संस्थान का नाम	इंधन की मात्रा					कुल भुगतान की गई रकम	भुगतान तिथि	अभ्युक्ति
			क्रम तिथि	डीजल	अन्य	दर	मूल्य			
1	16/01-02	भारत पेट्रोल सप्लाय क०, स्टेशन रोड, जमुई	2.2.02	10	—	17.71	177.10	3453.00	31.3.02	विपत्र सं० अंकित नहीं किया गया। गाड़ी सं० बी० आर० एच० 6018
			4.2.02	15	—	17.71	265.65			
			4.2.02	—	मोबील 1X1	95.00	95.00			
			4.2.02	—	गीयर वामल 1X4	83.00	332.00			
			5.2.02	15	—	17.71	265.65			
			11.2.02	15	—	17.71	265.65			
			13.2.02	10	—	17.71	177.10			
			16.2.02	10	—	17.71	177.10			
			20.2.02	10	—	17.71	177.10			
			22.2.02	10	—	17.71	177.10			
			25.2.02	25	—	17.71	442.75			
			28.2.02	15	—	17.71	265.65			
			28.2.02	—	मोबील 5X1	432.00	732.00			
			28.2.02	—	ब्रेक ऑयल 1 1/2 X4 1	51.00	204.00			
2	16/01-02	भारत पेट्रोल सप्लाय क०, स्टेशन रोड, जमुई	7.3.02	10	—	17.21	172.10	1600.00	31.3.02	
			9.3.02	10	—	“	172.10			
			11.3.02	10	—	“	172.10			
			11.3.02	—	—	—	172.10			
			14.3.02	10	1 1/2 X1	17.21	51.00			
			18.3.02	10	—	“	172.10			
			21.3.02	10	—	“	172.10			

			21.3.02	10	—	“	172.10			
			25.3.02	10	—	“	172.10			
			28.3.02	10	—	“	172.10			
3	50	भारत पेट्रोल सप्लाय क0, स्टेशन रोड, जमुई	2.11.01	10	—	17.71	177.10	2791.00	31.3.02	
			6.11.01	15	—	17.71	265.65			
			12.11.01	10	—	17.82	178.20			
			15.11.01	10	—	17.82	178.20			
			15.11.01	—	गीयर वॉमल 1X2	83.00	166.00			
			20.11.01	5	—	17.82	89.10			
			20.11.01	—	गीयर वॉमल $\frac{1}{1} \times 1$	—	51.00			
			25.11.01	10	—	17.82	178.20			
			25.11.01	—	$\frac{1}{1} \times 1$	“	51.00 89.10			
			26.11.01	5	— मोबिल 5X2	—	864.00 325.00			
			28.11.01	10	अन्य	“	178.20			
4	48	भारत पेट्रोल सप्लाय क0, स्टेशन रोड, जमुई	1.12.01	10	—	17.82	1883.90			
			1.12.01	10	—	17.82				
			4.12.01	10	—	17.82				
			12.12.01	30	—	17.82				
			14.12.01	5	—	17.82				
			19.12.01	10	—	17.82				
			19.12.01	—	1X1 गीयर वॉयल	—				
			22.12.01	10	—	17.82				
			22.12.01	—	$\frac{1}{1} \times 1$ ब्रेक वर्लल	—				
			22.12.01	—	$\frac{1}{1} \times 1$ ग्रीस	—				

5	13/ 01-02	भारत पेट्रोल सप्लाय क0 स्टेशन रोड, जमुई	1.2.01	10	—	17.71	177.10	2285.65		
			2.2.01	10	—	—	177.10			
			2.2.01	—	1X3 जी0 ऑयल	—	249.00			
			3.2.01	15	—	—	265.65			
			9.2.01	10	—	—	177.10			
			11.2.01	10	—	—	177.10			
			12.2.01	15	—	—	265.65			
			19.2.01	10	—	—	177.10			
			21.2.01	5	—	—	88.55			
			25.2.01	10	—	—	177.10			
			28.2.01	20	—	—	354.20			

कुल योग— 12013.55

**परिशिष्ट 'ठ' कंडिका -19 से संबंधित
अप्रस्तुत अभिश्रवों एवं योजनाभिलेखों की विवरणी**

क्र० सं०	शीर्ष	दिनांक	मद	राशि	कुल राशि	अभ्युक्ति
1	2202 (शिक्षा)	21.6.01	यो० सं० 1/99-2000	8023.00	33959.00	
		21.6.01	यो० सं० 6/99-2000	2700.00		
		27.6.01	यो० सं० 1/99-2000	4000.00		
		28.8.01	यो० सं० 12/2000-01	815.00		
		20.10.01	यो० सं० 20/2000-01 (दशम वित्त)	5856.00		
		20.10.01	प्रताप चन्द्र सिंह ,हौलतपुर	2000.00		
		8.11.01	यो० सं० 4/99-2000	815.00		
		31.12.01	लाल मुनि रावत, सा० बिहारी	1500.00		
		31.12.01	साही राम, सा० बिहारी	1500.00		
		23.1.02	यो० सं० 2/99-2000	3000.00		
		11.2.02	प्रसादी साह, बिहारी	2250.00		
		9.3.02	मुनी लाल रावत, बिहारी	1500.00		
2	आई आर० डी० पी० इन्फ्रास्ट्रक चर	12.5.01	प्रखण्ड परिसर में स्वयं सहायता समूह उत्पादन सह प्रशिक्षण केन्द्र, जमुई	99201.00	442586.00	
		1.6.01	तदैव	30000.00		
		27.6.01	यो० सं० 2/2000-01 लखनपुर में उत्पादन सह प्रशिक्षण भवन निर्माण	24644.00		
		27.6.01	यो० सं० 1/00-01	64199.00		
		27.6.01	यो० सं० 2/00-01	25000.00		
		5.9.01	यो० सं० 2/00-01	148062.00		
		26.12.01	यो० सं० 2/00-01	20000.00		
		19.1.02	यो० सं० 1/00-01	31480.00		
3	आई० आर० डी० पी० (2501) (S.G.S. Y एवं 3 अन्य चुल्हा)	16.7.01	श्रीमती चन्द्रा देवी सचिव, ग्रामीण महिला शिशु विकास समिति इंडो नर्मदा एवं अन्य 14 @ 50/-	750.00	750.00	

4	विविध	16.7.01	1/01-02 बलराम सिंह, जमुई पल्स पोलियों प्रचार हेतु गाड़ी भाड़ा 2/01-02 सालु बुल्दा मंदिर पोस्ट ऑफिस गाँधी मॉर्केट, जमुई को 3/01-02 सवेरा एण्ड को जमुई बाजार को (लाउड स्पीकर भाड़ा)	5000.00	5000.00	
5	जवाहर रोड योजना (जेड आरड वार्ड 20 प्रतिशत)	17.7.01	योजना सं० 13/98-99	8816.00	26315.00	
		20.8.01	योजना सं० 7/98-99	7445.00		
		14.2.02	योजना सं० 4/96-97	3054.00		
		27.3.02	योजना सं० 5/98-99	7000.00		
6	लघु सिंचाई (306)	26.12.01	योजना सं० 26/93-94 योजना सं० 40/93-94 योजना सं० 31/93-94 योजना सं० 6/93-94	3777.00 3114.00 3310.00 2583.00	30209.00	
		13.2.02	योजना सं० 39/93-94 योजना सं० 4/93-94	3651.00 7302.00		
		20.2.02	योजना सं० 28/93-94 योजना सं० 5/93-94	3132.00 3340.00		
7	लघु सिंचाई (306)	6.3.02	योजना सं० 42/93-94 योजना सं० 27/93-94	3651.00 3651.00	16156.00	
		13.3.02	योजना सं० 237/91-92 योजना सं० 234/91-92 योजना सं० 235/91-92	2638.00 2815.00 2638.00		
		23.3.02	योजना सं० 240/91-92	763.00		

योग-554975.00

2235 सामाजिक सु0 पेंशन (केन्द्रांश) स0 रो0 पु0 के अंतर्गत पारिवारिक लाभ एवं मातृत्व लाभ योजना में दिखाई गई भुगतान की विवरणी :-

क्र0 सं0	रोकड़ पुस्त में क्रम सं0	मद	लाभार्थियों का नाम एवं पता	स0 रो0 पुस्त में भुगतान तिथि	राशि	कुल राशि	अभ्युक्ति
1	25	पारिवारिक लाभ	चुहर राम, सा0 निमोम	06.02.02	10000.00	90000.00	
2	26	"	सविया देवी, सा0 पुतेरिया	06.02.02	10000.00		
3	27	"	विनदा देवी , सा0 सोनपे	06.02.02	5000.00		
4	28	"	कुन्ती देवी सा0 अधिकार	06.02.02	10000.00		
5	29	"	कमली देवी सा0 अधिकार	06.02.02	5000.00		
6	30	"	कारी देवी , सा0 सतगामा	06.02.02	10000.00		
7	31	"	प्रकाश रजक ,सा0 महाराजगंज	06.02.02	10000.00		
8	32	"	अनिता देवी, सा0 दौलतपुर	06.02.02	10000.00		
9	33	"	नुरजहाँ, सा0 पठान चौक	06.02.02	10000.00		
10	34	"	कमली देवी , सा0 छटुधनाया	06.02.02	10000.00		
11	35	मातृत्व लाभ	माला देवी , सा0 बहअरा	06.02.02	500.00	7000.00	
12	36	"	उर्मिला देवी ,सा0 बसअरा	06.02.02	500.00		
13	37	"	सविया देवी, सा0 बसअरा	06.02.02	500.00		
14	38	"	सुशीला देवी, सा0 मलोही	06.02.02	500.00		
15	39	"	सरस्वती देवी, सा0 श्रमहरा	06.02.02	500.00		
16	40	"	विमा देवी, सा0 श्रमहरा	06.02.02	500.00		
17	41	"	लक्ष्मी देवी, सा0 श्रमहरा	06.02.02	500.00		

18	42	“	सुलेना देवी , सा0 श्रमहरा	06.02.02	500.00		
19	43	“	टुना देवी , सा0 श्रमहरा	06.02.02	500.00		
20	44	“	बबीता देवी , सा0 श्रमहरा	06.02.02	500.00		
21	45	“	बाँबी देवी सा0 मजौर	06.02.02	500.00		
22	46	“	संजु देवी , सा0 मजौर	06.02.02	500.00		
23	47	“	टिंकु देवी ,सा0 अगहरा	06.02.02	500.00		
24	48	“	इन्दु देवी सा0 अगहरा	06.02.02	500.00		

कुल योग— 97000.00

2515/102 विकास से सम्बंधित अप्रस्तुत अभिश्रवों की विवरणी

क्र० सं०	तिथि	भौचर संख्या	मद	राशि	कुल राशि	अभ्युक्ति
1	3.12. 2001	1	मो० इजाम, नेशनल गैरेज, जमुई	50.00	9945.00	
		2	जमुई आटो मोबाइल स्टेशन रोड, जमुई	251.00		
		3	भारत पेट्रोल सप्लाई, जमुई	1512.00		
		4	भारत पेट्रोल सप्लाई, जमुई	2300.00		
		5	भारत पेट्रोल सप्लाई, जमुई	1928.00		
		6	भारत पेट्रोल सप्लाई, जमुई	1634.00		
		7	शशि भूषण मंडल, टाइपिस्ट	50.00		
		8	बी० के० स्टील इंडस्ट्रीज, जमुई	850.00		
		9	संजय शिक्षा मंदिर , जमुई	540.00		
		10	सुमन फोटो स्टेट जमुई	175.00		
		11	जमुई फोटो स्टेट जमुई	40.00		
		12	राजी कमल पुस्तक मंदिर जमुई	230.00		
		13	डीलक्स इलेक्ट्रिक कार्नर , जमुई	30.00		
		14	विनोद कुमार वर्तन दुकान जमुई	60.00		
		15	गणेश वस्त्रालय, जमुई	155.00		
		16	अजन्ता आर्ट प्रेस जमुई	15.00		
		17	अजन्ता आर्ट प्रेस जमुई	75.00		

		18	सुमन फोटो स्टेट जमुई	50.00		
2	8.12. 200	1	मो० अजाज नेशन गैरेज, जमुई	100.00	435.00	
		2	कल्याणी आटो मोबाइल	335.00		
3	31.12. 01	1	सुमन फोटो स्टेट , जमुई	50.00	910.00	
		2	सुमन फोटो स्टेट , जमुई	37.00		
		3	सुमन फोटो स्टेट , जमुई	30.00		
		4	सुमन फोटो स्टेट , जमुई	93.00		
		5	अजन्ता आर्ट प्रेस, जमुई	45.00		
		6	जे० के० प्रसाद , टाइपिस्ट	105.00		
		7	भारत हार्ड वेयर, जमुई	108.00		
		8	नटराज एण्ड कंपनी जमुई	240.00		
		9	अभिषेक वाच एंड जेनरल	21.00		
		10	अभिषेक वाच एंड जेनरल	21.00		
		11	शिल्पा टेंट हाउस	160.00		
4	2.01.02	1	भारत ओटो पार्ट्स, जमुई	535.00	1355.00	
		2	जमुई ओटो मोबाइल एंड को० जमुई	335.00		
		3	विनोद इन्जिनियरिंग वर्क्स जमुई	200.00		
		4	लक्ष्मी ओटो मोबाइल, खैरारोड जमुई	285.000		
5	3.01.02	1	भारत संचार निगम लिमिटेड	262.00	262.00	

6	27.2.02	1	सुमन फोटो स्टेट, जमुई	75.00	3766.85	
		2	राज कमल पुस्तक मंदिर जमुई	1061.00		
		3	जनता इलेक्ट्रिक हाउस	270.00		
		4	संजय शिक्षा मंदिर जमुई	40.00		
		5	अजन्ता आर्ट प्रेस, जमुई	26.85		
		6	मो0 अजाज , जमुई	54.00		
		7	कल्याणी ओटो मोबाइल्स, जमुई	143.00		
		8	भारत पेट्रोल सप्लाय	1338.00		
		9	भारत पेट्रोल सप्लाय	420.00		
		10	भारत पेट्रोल सप्लाय	339.00		

कुल योग— 3766.85 16673.85

कंडिका 19 (क) — 1554975.00

कंडिका 19 (ख) — 97000.00

कंडिका 19 (ग) — 16673.85

कुल योग— 668648.85

